(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 पुनरीक्षण

III/निगरानी/दतिया/भू.रा/2018/1249

हर्ष प्रताप सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह

निवासी ग्राम–थरेट तहसील

सेवढ़ा व जिला–दतिया म.प्र.

विरूद्ध

1. अमित ठाकुर पुत्र वीरेन्द्र सिंह

2. सिद्धार्थ ठाकुर पुत्र वीरेन्द्र सिंह

निवासी ग्राम–थरेट तहसील

सेवढ़ा व जिला–दतिया म.प्र.

श्री ... के० वाजपेयी द्वारा आज दिनांक 15.2.18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 23.2.18 नियत।
15.2.18

नायब तहसीलदार वृत्त थरेट तहसील–सेवढ़ा जिला–दतिया द्वार प्रकरण क्रमांक 01/अ–13/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 08/12/2017 तथा 19/01/2018 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, नायब तहसीलदार महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं विचाराधिकार रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदको ने संहिता की धारा–131 के अंतर्गत आवेदन देकर आवेदक की भूमि के मध्य से रास्ता होने का अभिकथन किया था जबकी आवेदक की भूमि में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है।

3. यह कि, अनावेदको ने संहिता की धारा–131 के आवेदन के साथ ही धारा–32 के अंतर्गत अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने के लिये भी आवेदन दिया जिस पर नायब तहसीलदार ने विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे, जाने योग्य नहीं है।

4. यह कि, प्रकरण के अभिलेख एवं न्यायालय की आदेश पत्रिका के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के समक्ष दिनांक 08/12/2017 को संहिता की धारा–131

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/दतिया/भू.रा./2018/1249

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
15–10–18	आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय में नायब तहसीलदार वृत्त थरेट तहसील सेवढ़ा जिला दतिया के प्रकरण कमांक 1/अ–13/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 6.12.17 तथा 19.1.18 के विरूद्व निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री सी0 एम0 गुप्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा अपनी अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की गई, तथा प्रकरण में मौखिक बहस भी की गई। 3–दोनों पक्षों के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार करने एवं म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.9.2018 के हुये संशोधन अनुसार नायब तहसीलदार वृत्त थरेट तहसील सेवढ़ा जिला दतिया द्वारा पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 6.12.17 तथा 19.1.18 के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रही है। अपितु संशोधन की संहिता की धारा 54 (क) सहपठित धारा 50 (1) (ग) के अनुसार कलेक्टर दतिया के समक्ष सुनवाई योग्य है। तदनुसार प्रकरण कलेक्टर दतिया की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 28.12.18 को कलेक्टर दतिया के समक्ष उपस्थित रहे। सदस्य कलेक्टर दतिया	